✓ ✓

फैक्स/ई-मेल/महत्वपूर्ण

संख्या-210 /छः-पु0-15-2016

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस)अनुभाग-15 दिनॉक 14 जून, 2016

विषयः-उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 में हुये संशोधन दिनांक 07.06.2016 के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि रिट पिटिशन (क्रिमिनल) संख्या-129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2011 के अनुपालन में साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1974) की धारा-357क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 दिनांक 09.04.2014 में संशोधन करते हुए दिनांक 07.06.2016 द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में अपराध से पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था हैः-

क्र0सं0	हानि या क्षति का विवरण	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1	बलात्कार	रू0-3,00,000/-
2	मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति (भा0द0वि0 की धारा-325,326,333,394,429,435 एवं 436)	रू0-1,00,000/-
3	संक्षारक पदार्थ अर्थात तेजाब आदि हमले से पीड़ित	रू0-5,00,000/-
4	मृत्यु (गैर कमाने वाले सदस्य)	रू0-1,50,000/-
5	मृत्यु (कमाने वाले सदस्य)	रू0-2,00,000/-
6	मानव तस्करी से पीड़ित	रू0-2,00,000/-

--2--

7	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-4,6,7,9,11 और 14 के अधीन अपराध	
	(क) प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा-4)	रू0-2,00,000/-
	(ख) गुरूत्तर प्रवेशन लैगिक हमला (धारा-6)	रू0-2,00,000/-
	(ग) लैंगिक हमला (धारा-7)	रू0-1,00,000/-
	(घ) गुरूत्तर लैगिक हमला (धारा-9)	रू0-1,50,000/-
	(ड.) लैगिक उत्पीड़न (धारा-11)	रू0-1,00,000/-
	(च) अश्लील प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग (धारा-14)	रू0-1,00,000/-
8	जलने पर शरीर का 25% से अधिक का प्रभावित होना (तेजाब हमला के मामलों के अतिरिक्त)	रू0-2,00,000/-
9	यौन उत्पीड़न (बलात्कार के अतिरिक्त)	रू0-50,000/-
10	गर्भ की क्षति	रू0-50,000/-
11	गर्भ धारण क्षमता की क्षति	रू0-1,50,000/-
12	पूर्ण विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक)	रू0-2,00,000/-
13	आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	रू0-1,00,000/-
14	क्रास बार्डर फाइरिंग से पीड़ित महिला- (अ) मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक)	रू0-2,00,000/-
	(ब) आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	रू0-1,00,000/-

2. पीड़ित/पीड़िता के पास इस अधिसूचना दिनांक 07.06.2016 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता पाने के लिये विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि- ट्रॉयल कोर्ट/अपील कोर्ट द्वारा आर्थिक सहायता हेतु संबंधित प्रकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी0एल0एस0ए0) को संदर्भित किया जाना अथवा पीड़ित/पीड़िता द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जाना और स्वयं आवेदन करना।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त श्रेणियों के प्रकरण जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने पर पीड़ित/पीड़िता को जिला शासकीय अधिवक्ता(क्रिमिनल)/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भेजकर आवेदन पत्र देने हेतु जो कार्यवाही की जानी है, वह आपके स्तर से ही अपेक्षित है।

--3--

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी0एल0एस0ए0) के अध्यक्ष जिले के जिला जज होते हैं और सीनियर जुडीशियल मजिस्ट्रेट उसके सचिव होते हैं। यह योजना पीड़ित/पीड़िता को तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है ताकि ट्रॉयल और फाइन्डिग्स समयावधि से बाधित न हों।

3. उक्त अनुसूची में उल्लिखित अपराधों से पीड़ित/पीड़िता को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु रू0-2,00,00,000/- (रूपया दो करोड़) की व्यवस्था न्याय विभाग के बजट में की गयी है, जिसका संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जब किसी प्रकार का प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्णीत किया जायेगा, वह प्रक्रियानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निर्णीत धनराशि प्राप्त कर पीड़ित/पीड़िता के खाते में स्थानान्तरित करेगा।

4. वास्तविक रूप से उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 के अध्यावधिक संशोधन/अधिसूचना दिनांक 07.06.2016 का उद्देश्य आम आदमी को तत्काल लाभ मिलने हेतु यह आवश्यक है कि संशोधित अधिसूचना का प्रचार-प्रसार आपके नेतृत्व में स्थानीय समाचार पत्रों में किया जाय एवं आपके अधीन जिले के प्रशासनिक/पुलिस/न्यायिक/प्रोबेशन अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में भी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

5. जिले में अपराध समीक्षा बैठकों में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय कि जनपद में कुल कितने पीड़ितों द्वारा उपरोक्त अनुसूची के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किये हैं और कितने पीड़ितों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है।

6. जिला जज के साथ होने वाली जिला स्तरीय मानीटरिंग बैठक में भी जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 यथा संशोधन दिनांक 07 जून, 2016 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी और प्राप्त सूचनाओं को क्रास चेक किया जायेगा, ताकि किसी अन्य योजना में दोहरा लाभ न प्राप्त हो सके।

7. यह भी अवगत कराना है कि अनुसूची में उल्लिखित अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता हेतु प्रदेश में दो योजनायें संचालित हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.02.2015 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015 एवं गृह विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.04.2014 द्वारा जारी उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 है। (संशोधन 2016)

8. उपर्युक्त दोनों योजनाओं में अन्तर यह है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली जारी होने की तिथि 06 फरवरी, 2015 से लागू है तथा इस योजना के अन्तर्गत केवल पीड़ित महिलाओं/लड़कियों को ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 यथा संशोधन दिनांक 07 जून, 2016 पूर्वगामी तिथि से प्रभावी है तथा इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं/बच्चों तथा पुरूषों को भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार योजना लागू होने की तिथि से पूर्व की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को भी आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। अतः आपके द्वारा पीड़ित/पीड़िता को लाभ दिये जाने के संबंध में सम्यक् परीक्षण करा लिया जाय कि उसे उपुर्यक्त दोनों योजनाओं में से किस योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाना उचित होगा।

कृपया उपरोक्त योजनाओं में से उपयुक्त योजना के तहत पीड़ित/पीड़िता को तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में समयान्तर्गत कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्न-**उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014**
का संशोधन/अधिसूचना दिनांक 07 जून, 2016
(यह uphome.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।)

भवदीय,

14.6.2016
(कमल सक्सेना)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 रजिस्ट्रार, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया अपने स्तर से समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता(क्रिमिनल) को सूचित करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग/श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
4. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से समस्त जिलास्तरीय अभियोजन अधिकारी को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

14.6.2016
(कमल सक्सेना)
सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
Grih (Police) Anubhag- 9

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-U.O.-26/VI-P-9-2016-G.I.204/2015-Police-15 dated: June 07, 2016.

NOTIFICATION

No.- U.O.-26/VI-P-9-2016-G.I.204/2015- Police-15
Lucknow: Dated: June 07, 2016.

In exercise of the powers under section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no 2 of 1974), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor in co-ordination with the Central Government, is pleased to make the following amendment in Government notification no-653/VI-P-9-2014-31(90)/2010 dated April 09, 2014 regarding the Uttar Pradesh Victim Compensation Scheme, 2014 as amended by Government notification no-1986/VI-P-9-2015-31(90)/2010 dated July 10, 2015 :

AMENDMENT

In the aforsaid notification for Schedule-1,the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Sl. No.	Description of loss or injury	Previous Maximum Limit of Compensation	Amended Maximum Limit of Compensation
1.	Rape	Rs. 2,00,000/-	Rs.3,00,000/-
2.	Loss or injury causing severe mental agony to the victim of the crime (IPC Sections 325,326,333,394,429, 435 and 436)	Rs.1,00,000/-	Rs.1,00,000/-
3.	Victim of corrosive substance i.e. acid attack etc.	Rs.3,00,000/-	Rs.5,00,000/-
4.	Death (Non-earning member)	Rs.1,50,000/-	Rs.1,50,000/-
5.	Death (Earning member)	Rs.2,00,000/-	Rs.2,00,000/-
6.	Victim of Human Trafficking	Rs.2,00,000/-	Rs.2,00,000/-

7.	**Offences under section 4,6,7, 9, 11 and 14 of the Protection of the Chidren from Sexual offences Act 2012:-**		
	(a) penetrative sexual assault (section-4),	Rs-2,00,000/-	Rs.2,00,000/-
	(b) aggravated penetrative sexual assault (section -6),	Rs-2,00,000/-	Rs.2,00,000/-
	(c) sexual assault (section-7),	Rs-1,00,000/-	Rs.1,00,000/-
	(d) aggravated sexual assault (section- 9),	Rs-1,50,000/-	Rs.1,50,000/-
	(e) sexual harrassment (section-11),	Rs-1,00,000/-	Rs.1,00,000/-
	(f) using child for pornographic purpose (section-14),	Rs-1,00,000/-	Rs.1,00,000/-
8.	Burns affecting greater than 25% of the body (excluding acid attack cases)-	--	Rs.2,00,000/-
9.	Sexual assault (excluding rape)	--	Rs.50,000/-
10.	Loss of foetus	--	Rs.50,000/-
11.	Loss of fertility	--	Rs.1,50,000/-
12.	Permanent Disability (80% or more)	--	Rs.2,00,000/-
13.	Partial Disability (40% to 80%)	--	Rs.1,00,000/-
14.	Women victims of cross border firing:- (a) death or permanent disability (80% or more)	--	Rs.2,00,000/-
	(b) partial disability (40% to 80%)	--	Rs.1,00,000/-

By Order

Mani Prasad Mishra
Sachiv.

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–यू0ओ0–26 / छ:–पु0–9–16–जीआई–204 / 15,पुलिस–15
लखनऊ: दिनांक: 07 जून,2016

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2, सन् 1974) की धारा 357–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या–1986 / छ:– पु0–9–2015–31(90) / 2010, दिनांक 10 जुलाई, 2015 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 से संबंधित सरकारी अधिसूचना संख्या–653 / छ:–पु0–9 –2014–31(90) / 2010, दिनांक 09 अप्रैल,2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची–1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:–

अनुसूची

क0 सं0	हानि या क्षति का विवरण	पूर्व में क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा	संशोधित क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1.	बलात्कार	रू0 2,00,000 / –	रू0 3,00,000 / –
2.	मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति (भा0द0सं0 की धारा–325, 326, 333, 394, 429, 435 एवं 436)	रू0 1,00,000 / –	रू0 1,00,000 / –
3.	संक्षारक पदार्थ अर्थात् तेजाब आदि हमले से पीड़ित	रू0 3,00,000 / –	रू0 5,00,000 / –
4.	मृत्यु (गैर कमाने वाले सदस्य)	रू0 1,50,000 / –	रू0 1,50,000 / –
5.	मृत्यु (कमाने वाले सदस्य)	रू0 2,00,000 / –	रू0 2,00,000 / –
6.	मानव तस्करी से पीड़ित	रू0 2,00,000 / –	रू0 2,00,000 / –
7.	**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–4, 6, 7, 9, 11 और 14 के अधीन अपराध**		
	(क)प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–4)	रू0 2,00,000 / –	रू0 2,00,000 / –
	(ख)गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–6)	रू0 2,00,000 / –	रू0 2,00,000 / –
	(ग)लैंगिक हमला (धारा–7)	रू0 1,00,000 / –	रू0 1,00,000 / –
	(घ)गुरूत्तर लैंगिक हमला (धारा–9)	रू0 1,50,000 / –	रू0 1,50,000 / –
	(ड.)यौन उत्पीड़न (धारा–11)	रू0 1,00,000 / –	रू0 1,00,000 / –
	(च)अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा–14)	रू0 1,00,000 / –	रू0 1,00,000 / –
8.	जलने से शरीर का 25% से अधिक का प्रभावित होना (तेजाब हमला के मामलों के	–	रू0 2,00,000 / –

	अतिरिक्त)		
9.	यौन उत्पीड़न (बलात्कार के अतिरिक्त)	—	रू0 50,000/—
10.	गर्भ की क्षति	—	रू0 50,000/—
11.	गर्भ धारण क्षमता की क्षति	—	रू0 1,50,000/—
12..	पूर्ण विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक)	—	रू0 2,00,000/—
13.	आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	—	रू0 1,00,000/—
14.	कास बार्डर फाइरिंग से पीड़ित महिला— (अ) मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक)	—	रू0 2,00,000/—
	(ब) आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	—	रू0 1,00,000/—

आज्ञा से

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या–यू0ओ0–26 / छः–पु0–9–16–जीआई–204 / 15,पुलिस–15

लखनऊः दिनांकः 07 जून,2016

उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 में संशोधन की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद / लखनऊ।

(2) सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(5) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

(6) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(8) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(9) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(11) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

(12) निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

(13) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को गृह विभाग की वेबसाइट (uphome.gov.in) पर निर्गमन हेतु।**

(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मणि प्रसाद मिश्र

सचिव।

क्रम सं०—88 (ड–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 9 अप्रैल, 2014

चैत्र 19, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या 653 / छः–पु0–9–14–31(90)-2010

लखनऊ, 9 अप्रैल, 2014

अधिसूचना

प०आ०–119

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 357-क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल केन्द्र सरकार से समन्वय करके एतद्द्वारा ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों, जिन्हें अपराध के कारण हानि या क्षति हुई है और पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति देने के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित योजना बनाते हैं अर्थात्–

उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना

1—यह योजना उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम,

2—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस योजना में:– परिभाषाएँ

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1974) से है;

(ख) "अनुसूची" का तात्पर्य इस योजना से संलग्न अनुसूची से है;

(ग) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(घ) "पीड़ित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो कि अपराध के परिणाम-स्वरूप क्षति या हानि से पीड़ित हो और पुनर्वास की आवश्यकता हो और इसमें पीड़ित के परिवारिक सदस्य भी सम्मिलित हैं;

(ङ) "जिला विधिक सेवा अधिकरण" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9 के अधीन गठित जिला प्राधिकरण से है;

(च) "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण से है;

पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि

3–(1) "पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि" के नाम से निधि गठित की जायेगी जिससे ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों, जिन्हें अपराध के कारण क्षति या हानि हुई है और पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष इस योजना के प्रयोजनार्थ पृथक रूप से बजट आबंटित करेगी।

(3) निधि का संचालन सचिव, राज्य विधिक सेवा अधिकरण द्वारा किया जायेगा।

क्षतिपूर्ति के लिए पात्रता

4–पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए पात्र होगा यदिः–

(क) अपराधी का पता नहीं चलता है या उसकी शिनाख्त नहीं की जाती है, किन्तु पीड़ित की शिनाख्त हो जाती है, और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहाँ ऐसे पीड़ित या उसके आश्रित अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन क्षतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकते हैं;

(ख) पीड़ित/दावेदार ने घटना से 48 घण्टे के भीतर पुलिस स्टेशन के अधिकारी या प्रभारी, क्षेत्र के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट की हो, परन्तु यह कि यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, संतुष्ट हो जाता है तो रिपोर्ट करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है;

(ग) पीड़ित/दावेदार ने मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस तथा अभियोजन पक्ष को सहयोग दिया है।

क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रक्रिया

5–(1) जब कभी न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 357–क की उपधारा (2) के अधीन संस्तुति की जाती है या कोई आवेदन किसी पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मामलें की जॉच करेगा और रिपोर्ट की गयी अपराधिक गतिविधि में पीड़ित को हुई हानि या क्षति के सम्बन्ध में दावे के विषय वस्तु को सत्यापित करेगा। दावे की वास्तविकता निर्धारित करने के लिए कोई अन्य आवश्यक सुसंगत सूचना मांग सकता है। दावों का सत्यापन करने और सम्यक् जॉच के उपरान्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के प्राविधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन न्यायालय की संस्वीकृति की प्राप्ति या आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से दो मास के भीतर क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

(2) इस योजना के अधीन क्षतिपूर्ति इस शर्त के अधीन भुगतान की जायेगी कि यदि विचारण न्यायालय पश्चातवर्ती तिथि को निर्णय देते समय दोषी व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में किसी राशि का भुगतान करने के लिए आदेश देता है, तो पीड़ित या दावेदार क्षतिपूर्ति की धनराशि के बराबर आदेशित धनराशि या उपधारा 3 के अधीन दी जाने वाली आदेशित धनराशि जो भी कम हो, विप्रेषित करेगा। पीड़ित व्यक्ति/दावेदार से इस आशय की, अण्डरटेंकिंग निधि से धनराशि वितरित करने से पूर्व प्राप्त की जायेगी।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित को हुई क्षति के आधार पर पीड़ित या उसके आश्रित को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा, उपचार पर उपगत होने वाले चिकित्सा व्यय, अंत्येष्टि व्यय इत्यादि के रूप में ऐसे आकस्मिक प्रभार सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम आजीविका राशि का निर्णय करेगा। प्रत्येक प्रकरण में तथ्यों के आधार पर प्रकरणवार प्रत्येक पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति भिन्न–भिन्न हो सकती है।

(4) कतिपय मामलों में अपराध की अतिसंवेदनशीलता एवं पीड़ित व्यक्ति की विशेष आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष मामलों में जिला विधिक सेवा अधिकरण या राज्य विधिक सेवा अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, को अधिकार होगा कि रूपये 25 हजार तक, अधिकतम 1.00 लाख की सहायता उपलब्ध करा सकते हैं जैसे–

(क) जहां पीड़ित, नाबालिग लड़की हो और विशिष्ट उपचार व देखभाल की आवश्यकता हो।

(ख) जहां पीड़ित, मानसिक रूप से आहत हो और विशिष्ट उपचार व देखभाल की आवश्यकता हो।

(ग) किसी अन्य मामले में, जैसा संबंधित विधिक सेवा अधिकरण उचित समझे।

(5) पीड़ित या उसके आश्रितों को दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा अनुसूची एक में वर्णित सीमा से अधिक नहीं होगी।

(6) इस योजना के अधीन निर्णीत क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित या उसके आश्रितों, जैसी स्थिति हो, को निधि से वितरित की जायेगी। अन्तरिम या अन्तिम वित्तीय सहायता जैसे भी स्थिति हो, का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में अधिमानतः एक सप्ताह के अन्दर की जायेगी। यदि पीड़ित व्यक्ति नाबालिग है तो धनराशि का भुगतान पीड़ित के माता–पिता या अभिभावक के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि समुचित के सदुपयोग के बारे में संतुष्ट हो जाने पर संबंधित अधिकरण द्वारा की जायेगी।

(7) पीडित द्वारा प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त क्षतिपूर्ति अर्थात् बीमा अनुग्रह, किसी अन्य अधिनियम में प्राप्त या केन्द्र एवं राज्य द्वारा चलायी जा रही किसी अन्य योजना के अधीन प्राप्त भुगतान भी इस योजना के अधीन क्षतिपूर्ति राशि के भाग के रूप में मानी जायेगी। यदि क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित द्वारा उपरोक्त वर्णित स्रोतों से प्राप्त भुगतान से अधिक है तो शेष राशि का भुगतान निधि से किया जायेगा।

(8) मोटर वेहिकल ऐक्ट,1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) से आच्छादित मामले, जिनमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिबुनल द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिये गये हैं, इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

(9) राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यथास्थिति, पीड़ित की पीड़ा कम करने के लिये तुरन्त ही प्राथमिक चिकित्सा अथवा चिकित्सीय लाभ के लिये आदेश कर सकेगा जो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी या सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर मुफ्त उपलब्ध कराये जायेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य ऐसे अन्तरिम अनुतोष दिये जाने के लिए ऐसे आदेश दे सकेंगे, जैसा समुचित प्राधिकारी उचित समझे।

पीड़ित व्यक्ति को सहायता के निर्धारण करने हेतु निर्देशक सिद्धान्त

6–क्षतिपूर्ति व पुनर्वास सेवायें प्रदान करने का निर्धारण करते समय पीड़ित की मूलभूत पुनर्वास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकरण निम्नलिखित तथ्यों द्वारा निर्देशित होगा:–

(क) पीड़ित व्यक्ति को आई चोटें, घाव के प्रकार व गम्भीरता तथा उसे होने वाले चिकित्सीय एवं मानसिक उपचार पर होने वाले व्यय।

(ख) पीड़ित की उम्र व आर्थिक स्थिति के कम में उसकी शैक्षिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं, जैसे भी स्थित हो।

(ग) पीड़ित को जहां गैर आर्थिक नुकसान, मानसिक या भावनात्मक आघात या अपमान का सामना करना पड़ा हो।

(घ) किसी वैकल्पिक आवास के प्राविधान करने के संबंध में होने वाला व्यय जहॉ पीडित अपराध घटित होने और प्राथमिकी दर्ज होने या अपराधिक वाद प्रारम्भ होने से भिन्न स्थान पर रहता हो।

अभिलेख पर रखे जाने वाले आदेश परिसीमा

7–इस योजना के अधीन पारित क्षतिपूर्ति आदेश की प्रति को विचारण न्यायालय के अभिलेख पर लाना आवश्यक होगा ताकि न्यायालय अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर सके।

परिसीमा

8–अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा अपराध की एक वर्ष की अवधि के बाद किये गये किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा :

परन्तु, यह कि यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिलिखित कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह दावा दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है।

अपील 9–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति से इन्कार करने से व्यथित व्यक्ति 90 दिन के अन्दर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

परन्तु यह कि यदि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, अपील दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है।

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव।

अनुसूची–1

क्र0सं0	हानि या क्षति का विवरण	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1	बलात्कार	रू0 2,00,000/–
2	मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति	रू0 1,00,000/–
3	संक्षारक पदार्थ अर्थात् तेजाब आदि हमले से पीड़ित	रू0 3,00,000/–
4	मृत्यु (गैर कमाने वाले सदस्य)	रू0 1,50,000/–
5	मृत्यु (कमाने वाले सदस्य)	रू0 2,00,000/–
6	मानव तस्करी से पीड़ित	रू0 2,00,000/–

आज्ञा से,
एस0के0 रघुवंशी,
सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.-653/VI-P-9-2014-31(90)/2010 Dated April 9, 2014.

No.-653/VI-P-9-2014-31(90)/2010.

Lucknow, Dated April 09, 2014

In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Governor of Uttar Pradesh, in co-ordination with the Central Government, hereby frames the following scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely :

THE UTTAR PRADESH VICTIM COMPENSATION SCHEME

Short title 1. This Scheme may be called the Uttar Pradesh Victim Compensation Scheme, 2014

Definitions 2. In this Scheme, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Code of Criminal Procedure. 1973 (Act No-2 of 1974);

(b) "Schedule" means the Schedule appended to this Scheme;

(c) "State" means the State of Uttar Pradesh;

(d) "Victim" means a person who himself has suffered loss or injury as a result of the crime and requires rehabilitation, and includes his dependent family members;

(e) "District Legal Services Authority" means the District Authority constituted under Section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

(f) "State Legal Services Authority" means the State Authority constituted under section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Victim Compensation Fund

3. (1) There shall be established a fund namely Victim Compensation Fund from which amount of compensation under this Scheme shall be paid to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as result of the crime and who require rehabilitation.

(2) The State Government shall allot a separate budget for the purpose of the Scheme every year.

(3) The Fund shall be operated by the Secretary, State Legal Services Authority.

Eligibility for compensation

4. A victim shall be eligible for the grant of compensation if :

(a) the offender is not traced or identified, but the victim is identified and where no trial takes place; such victim may' also apply for grant of compensation under sub section (4) of section 357-A of the Act;

(b) the victim/claimant reports the crime to the officer-in-charge of the police station within 48 hours of the occurrence or any senior police officer or Executive Magistrate or Judicial Magistrate of the area provided that the District Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in reporting;

(c) the victim/claimant cooperates with the police and the prosecution during the investigation and trial of the case.

Procedure for grant of compensation

5. (1) Whenever a recommendation is made by the Court or an application is made by any victim or his dependent under sub section (2) of section 357-A of the Act to the District Legal Services Authority, the District Legal Services Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to the victim and arising out of the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness of the claim. After verifying the claim, the District Legal Services Authority shall, after due enquiry, award compensation within two months from the date of receipt of the recommendation of the court of the receipt of application under sub-section (4) of section 357-A of the Act in accordance with the provisions of this Scheme.

(2) Compensation under this Scheme shall be paid subject to the condition that if the trial court, while passing judgment at later date, orders the accused persons to pay any amount by way of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act, the victim/claimant shall remit an amount ordered equal to the amount of compensation or the amount ordered to be paid under the said sub-section (3) whichever is less. An undertaking to this effect shall be given by the victim/ claimant before the distribution of the compensation amount.

(3) The District Legal Services Authority shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case depending on the facts of each case.

(4) Keeping in view the particular vulnerabilities and special needs of the affected person in certain cases, the District Legal Services Authority or the State Legal Services Authority, as the case may be, will have the power to provide additional assistance of Rs. 25,000/- subject to maximum of Rs. 1,00,000/-, in the cases where:

(a) The affected person is a minor girl requiring specialized treatment and care:

(*b*) The person is mentally challenged requiring specialized treatment and care;

(*c*) Any other case as may be deemed fit by the Legal Services Authority concerned.

(5) The quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents shall not exceed the maximum limit as per Schedule-I.

(6) The amount of compensation decided under the Scheme shall be disbursed to the victim or his dependents, as the case may be, from the Fund. The interim or final financial assistance, as the case may be, shall be remitted to the bank account of the applicant preferably within a week. In cases where the person affected is a minor, the amount shall be remitted to the bank account of his parent or guardian after the Authority concerned is satisfied about the proper utilization of the amount of compensation.

(7) Compensation received by the victim from the State in relation to the crime in question, namely, insurance, *ex-gratia* and/or payment received under any other Act or State-run Scheme, shall be considered as part of the compensation amount under this Scheme and if the due compensation amount exceeds the payments received by the victim from collateral sources mentioned above, the balance amount shall be paid out of the Fund.

(8) The cases covered under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) wherein compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under this Scheme.

(9) The District Legal Services Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer-in-charge of the police station or the Magistrate of the area concerned. The district Legal Services Authority may order for any other interim relief as it may deem fit.

Principles governing the determination of assistance to the affected person

6. While determining the compensation and rehabilitation services to be provided on the basis of the restorative needs of the affected person, the Authority shall be guided by the following factors:

(*a*) Type and severity of the bodily injury suffered by the affected person and expenditure incurred or likely to be incurred on victim's medical treatment and psychological counseling.

(*b*) Age and financial condition of the affected person so as to determine the need for his education or professional or vocational training, as the case may be.

(*c*) Non-pecuniary loss entailing suffering, mental or emotional trauma or humiliation faced.

(*d*) Expenses incurred in connection with provision of any alternate accommodation in cases where the affected person resides in a place other than where the offence was committed and the FIR has been recorded and/or criminal trial initiated.

Order to be placed on record

7. Copy of the order of compensation passed under this Scheme shall be mandatorily placed on record of the trial court to enable the court to pass order of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act.

Limitation

8. No claim made by the victim or his dependents under sub-section (4) of section 357-A of the Act shall be entertained after a period of six months of the crime:

Provided that the District Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing any claim.

9. Any victim aggrieved of the denial of compensation by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days : Appeal

Provided that the State Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

S.K. RAGHUVANSHI,
Sachiv.

Schedule - 1

	Particulars of loss or injury	Maximum limit of compensation
1	Rape	Rs. 2,00,000/-
2	Loss or injury causing severe mental agony to the victim of the crime	Rs. 1,00,000/-
3	Victim of corrosive substance *i.e.* acid attack etc.	Rs. 3,00000/-
4	Death (Non-earning member)	Rs. 1,50,000/-
5	Death (Earning member)	Rs. 2,00,000/-
6	Victim of Human Trafficking	Rs. 2,00,000/-

By order,
S.K. RAGHUVANSHI,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 42 राजपत्र (हि०)–2014–(154)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा० गृह–2014–(155)–5000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।